

प्रेषक

निदेशक माध्यमिक शिक्षा हरियाणा  
शिक्षा सदन, सैक्टर-5, पंचकूला।

सेवा में

जिला शिक्षा अधिकारी  
करनाल।

यादी क्रमांक 2/12-2016 निर्माण (2)  
दिनांक, पंचकूला 10.03.2017

**विषय:** राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जूडला (करनाल) (1937) से जारी राशि withdraw करके एस0के0एम0 राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जूडला (करनाल) (1827) में समायोजन करने बारे।

उपरोक्त विषय पर आपके कार्यालय के पत्र क्रमांक 8478 दिनांक 18.11.2016/09.03.2016 के संदर्भ।

निदेशालय के पत्र क्रमांक 2/12-2016 निर्माण (2) दिनांक 16.09.2016 के तहत रा0व0मा0वि जूडला (करनाल) (1937) को 57,300/- रुपये की राशि चार दीवारी मुरम्मत हेतु जारी की गई थी। को आपके द्वारा भेजे गये प्रस्ताव अनुसार राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जूडला (करनाल) (1937) से 57,300/- रुपये withdraw करके राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जूडला (करनाल) (1827) में चारदीवारी की मुरम्मत हेतु 57,300/- रुपये की स्वीकृति प्रदान की जाती है। जो कि खर्च मुख्य शीर्ष "2202- General Education-02-Secondary Education - 053-Maintance of Building (98) Construction/Extension of building of High/Sr. Secondary School-(17) Minor works" Plan 2016-17 संख्या के अन्तर्गत वहन करना होगा। जो निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पैशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III (2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- 4 विद्यालयों के भवनो के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चलान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगित प्रमाण पत्र के साथ भेजे।

- 5 आपके विद्यालय द्वारा भेजे गए अनुमान को कार्यालय के Engineering Cell द्वारा लोक निर्माण विभाग के अनुसार चैक करके राशि कम/ज्यादा की गई है।
- 6 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

६७६९

अधीक्षक निर्माण

कृते: निदेशक माध्यमिक शिक्षा, हरियाणा  
पंचकूला।

दिनांक पंचकूला १०-०३-२०१७

पृष्ठांकन क्रमांक सम

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 महालेखाकार हरियाणा चण्डीगढ़।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त, करनाल।
- 3 प्राचार्य, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जूडला (करनाल) (1937)।
- 4 प्राचार्य, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जूडला (करनाल) (1827)।
- 5 जिला खजाना अधिकारी, करनाल।
- 6 बजट शाखा (स्थानीय)।

अधीक्षक निर्माण

कृते: निदेशक माध्यमिक शिक्षा, हरियाणा  
पंचकूला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

# Directorate School Education

## विद्यालय शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास  
Education, Culture and Development  
नमके मा ज्योतिगमय  
Lead me from Darkness to Light

www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे,

Head Master GHS- Bhaisur Kalan [2802], Rohtak

यादी कमांक 2/12-2016-Works(2)

दिनांक पंचकुला 09-03-2017

**विषय** माईनर वर्क्स ग्रांट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2016-2017 (Plan) (मुख्यमंत्री घोषणा कोड 18327)

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0 कमांक 5/6-2005 बी एण्ड सी दिनांक 09.05.2005 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी कमांक 2/12-2016-Works(2) दिनांक 02-05-2016 के प्रसंग में, के अर्न्तगत 1500.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों पर उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GHS- Bhaisur Kalan [2802]	Repair of Six rooms	13,87,000.00
	<b>कुल राशि</b>	<b>13,87,000.00</b>

उपरोक्त राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य संबंधित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। उपरोक्त राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पेशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतों यादी कमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी कमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- 4 विद्यालयों के भवनो के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चलान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगित प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 आपके विद्यालय द्वारा भेजे गए अनुमान को कार्यालय के Engineering Cell द्वारा लोकनिर्माण विभाग के अनुसार चैक करके राशि कम/ज्यादा की गई हैं।
- 6 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा मुख्य शीर्ष "2202- General Education-02-Secondary Education – 053-Maintance of Building (98) Construction/Extension of building of High/Sr. Secondary School-(17) Minor works" Plan 2016-17 संख्या के अन्तर्गत वहन करना होगा।

अधीक्षक निर्माण  
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा  
हरियाणा, पंचकुला।

पृष्ठाकन क्रमांक 2/12-2016-Works(2)

दिनांक, पंचकुला:—

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:— 9-03-2017

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, रोहतक को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त रोहतक।
- 3 जिला खजाना अधिकारी रोहतक।
- 4 उप खजाना अधिकारी, महम/सांपला/कलानौर
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ को उनके उनके अशा० क्रमांक 5/6/2005-5 बी० एण्ड सी० दिनांक 11.06.2010 के संदर्भ में।
- 6 महालेखाकार हरियाणा (ए०एण्ड०ई) चण्डीगढ।
- 7 महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी०सी०ए०) स्थानीय। यह राशि बी०सी०ओ० के खाते में स्थानान्तरण करने का कष्ट करे।
- 10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अधीक्षक निर्माण  
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा  
हरियाणा, पंचकुला।

प्रेषक

निदेशक माध्यमिक शिक्षा हरियाणा  
शिक्षा सदन, सैक्टर-5, पंचकूला।

सेवा में

जिला शिक्षा अधिकारी  
भिवानी।

यादी क्रमांक 2/12-2016 निर्माण (2)  
दिनांक, पंचकूला।

विषय: राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अचीना भिवानी से जारी राशि withdraw करके एस0के0एम0 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भिवानी में समायोजन करने बारे।

उपरोक्त विषय पर आपके कार्यालय के पत्र क्रमांक सा-1-17/6322/10 दिनांक 03.03.2017 के संदर्भ।

निदेशालय के पत्र क्रमांक 2/12-2016 निर्माण (2) दिनांक 16.09.2016 के तहत रा0व0मा0वि अचीना भिवानी (474) को 4,25,000/- रुपये की राशि मुरम्मत हेतु जारी की गई थी। को आपके द्वारा भेजे गये प्रस्ताव अनुसार राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अचीना से [474] 4,25,000/- रुपये withdraw करके एस0के0एम0 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भिवानी में [396] 6 कमरो की मुरम्मत हेतु 3,38,000/- रुपये की स्वीकृति दी जाती है। जो कि खर्च मुख्य शीर्ष "2202- General Education-02-Secondary Education - 053-Maintance of Building (98) Construction/Extension of building of High/Sr. Secondary School-(17) Minor works" Plan 2016-17 संख्या के अन्तर्गत वहन करना होगा। जो निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पैशिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III (2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- 4 विद्यालयों के भवनो के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेसन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चलान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगित प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 आपके विद्यालय द्वारा भेजे गए अनुमान को कार्यालय के Engineering Cell द्वारा लोकनिर्माण विभाग के अनुसार चैक करके राशि कम/ज्यादा की गई है।

6 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

*sd*  
अधीक्षक निर्माण

कृते: निदेशक माध्यमिक शिक्षा, हरियाणा  
पंचकूला।

दिनांक पंचकूला। 09-03-2017

पृष्ठांकन क्रमांक सम

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 महालेखाकार हरियाणा चण्डीगढ़।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त, भिवानी।
- 3 प्राचार्य, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अचीना भिवानी।
- 4 प्राचार्य, एस0के0एम0 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भिवानी।
- 5 जिला खजाना अधिकारी भिवानी।
- 6 बजट शाखा (स्थानीय)।

*sd*

अधीक्षक निर्माण

कृते: निदेशक माध्यमिक शिक्षा, हरियाणा  
पंचकूला।

*sd*



# Directorate School Education

## विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे,

Head Master GSSS- Rohad [3125], Jhajjar

यादी क्रमांक 2/12-2016-Works(2)  
दिनांक पंचकुला 09-03-2017

**विषय** माईनर वर्क्स ग्रांट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2016-2017 (Plan)

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0 क्रमांक 5/6-2005 बी एण्ड सी दिनांक 09.05.2005 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/12-2016-Works(2) दिनांक 02-05-2016 के प्रसंग में, के अर्न्तगत 1500.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों पर उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GSSS- Rohad [3125] Jhajjar	Const. of B/wall	8,57,000.00
	कुल राशि	8,57,000.00

उपरोक्त राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य संबंधित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। उपरोक्त राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पैशिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- 4 विद्यालयों के भवनो के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चलान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगित प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 आपके विद्यालय द्वारा भेजे गए अनुमान को कार्यालय के Engineering Cell द्वारा लोकनिर्माण विभाग के अनुसार चैक करके राशि कम/ज्यादा की गई हैं।
- 6 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा मुख्य शीर्ष "2202- General Education-02-Secondary Education – 053-Maintenance of  
Jing (98) Construction/Extension of building of High/Sr. Secondary School-(17) Minor works" Plan  
5-17 संख्या के अन्तर्गत वहन करना होगा।


६८८)  
अधीक्षक निर्माण  
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा  
हरियाणा, पंचकुला।

दिनांक, पंचकुला:- १-०३-२०१७

पृष्ठांकन क्रमांक 2/12-2016-Works(2)

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, झज्जर को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि  
भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के  
मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे  
जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त झज्जर।
- 3 जिला खजाना अधिकारी झज्जर।
- 4 उप खजाना अधिकारी, बैरी/बहादुरगढ/मातनहेल
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ को उनके उनके अशा० क्रमांक  
5/6/2005-5 बी० एण्ड सी० दिनांक 11.06.2010 के संदर्भ में।
- 6 महालेखाकार हरियाणा (ए०एण्ड०ई) चण्डीगढ।
- 7 महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी०सी०ए०) स्थानीय। यह राशि बी०सी०ओ० के खाते में स्थानान्तरण करने का कष्ट करे।
- 10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

  
अधीक्षक निर्माण  
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा  
हरियाणा, पंचकुला।



From

Director Secondary Education Haryana  
Shiksha Sadan, Sector-5, Panchkula.

To

1 Principal,  
GSSS Kassar (Jhajjar) [3119]  
2 Principal,  
GSSS Amboli (Jhajjar) [3191]


Memo. No. 2/12-2016 Works (2)  
Dated, Panchkula the

**Subject: Minor Works Grant, Special Repair/Construction/alterations of Government School for the year 2016-17 (Plan).**

Kindly refer to this office letter No. 2/12-2016 Works (2) dated 12.09.2016 on the subject cited above.

Sanctioned for minor works grant for repair/construction of Government Schools in year 2016-17 (Plan) for 20 schools was issued vide letter no. 2/12-2016 Works (2) dated 12-09-2016 is hereby withdraw from following schools:-

Sr. No.	Name of the School	Name of the work	Amount
1	GSSS Kassar (Jhajjar) [3119]	Construction of B/wall	6,12,300/-
2	GSSS Amboli (Jhajjar) [3191]	Construction of B/wall	16,32,000/-


  
Superintendent (Works)  
for Director Secondary Education  
Haryana, Panchkula

Endst No. 2/12-2016 Works (2)

Dated Panchkula 09-03-2017

A copy is forwarded to the following for information and necessary action please:-

- 1 Accountant General Haryana (Audit), Chandigarh.
- 2 Additional Deputy Commissioner Jhajjar.
- 3 Treasury Officer, Jhajjar.
- ✓ 4 District Education Officer Jhajjar, is requested to ensure that the above mentioned amount is not be draw by the school.
- 5 Superintendent Budget/BCA (Local).

  
Superintendent Works  
for Director Secondary Education  
Haryana, Panchkula

प्रेषक

निदेशक माध्यमिक शिक्षा हरियाणा  
शिक्षा सदन, सैक्टर-5, पंचकूला।

सेवा में

जिला शिक्षा अधिकारी  
फरीदाबाद।

यादी क्रमांक 2/14-2016 निर्माण (2)  
दिनांक, पंचकूला 15-03-2017

विषय: राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बल्लभगढ (फरीदाबाद) को स्वीकृत राशि अन्य विद्यालयों में सामायोजन करने बारे (नान प्लान)।

उपरोक्त विषय पर आपके कार्यालय के पत्र क्रमांक जी-111/निर्माण/17/2938 दिनांक 16.02.2017 के संदर्भ।

निदेशालय के पत्र क्रमांक 2/14-2016 निर्माण (2) दिनांक 06.10.2016 के तहत रा0क0व0मा0वि बल्लभगढ (फरीदाबाद) (957) को 8,34,000/- रुपये की राशि चार दीवारी मुरम्मत, निर्माण हेतु जारी की गई थी। को आपके द्वारा भेजे गये प्रस्ताव अनुसार रा0क0व0मा0वि बल्लभगढ (फरीदाबाद) (957) से 8,34,000/- रुपये withdraw करके निम्नलिखित विद्यालयों को राशि की स्वीकृति खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

क्रमांक न0	विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	रुपये
1	रा0व0मा0वि झाडसेतली (1173)	चारदीवारी निर्माण	5,18,000
2	रा0उ0वि NIT-2 फरीदाबाद (1110)	चारदीवारी निर्माण	1,46,000
3	रा0उ0वि मांगर (1031)	चारदीवारी निर्माण	78,000
	<b>कुल</b>		<b>7,42,000</b>

यह खर्च मुख्य शीर्ष "2202 General Education -02 - Secondary Education - 053-Maintenance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works" (Non Plan) 2016-17 संख्या के अन्तर्गत वहन करना होगा। जो निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पैशिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III (2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।

- 4 विद्यालयों के भवनो के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होती उसे तुरन्त खजाने में चलान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगित प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 आपके विद्यालय द्वारा भेजे गए अनुमान को कार्यालय के Engineering Cell द्वारा लोक निर्माण विभाग के अनुसार चैक करके राशि कम/ज्यादा की गई हैं।
- 6 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

६२८  
अधीक्षक निर्माण

कृते: निदेशक माध्यमिक शिक्षा, हरियाणा

पंचकूला 15-03-2017

दिनांक पंचकूला।

पृष्ठांकन क्रमांक सम

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 महालेखाकार हरियाणा चण्डीगढ़।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त, फरीदाबाद।
- 3 प्राचार्य, रा0क0व0मा0वि बल्लभगढ़ (फरीदाबाद) (957)।
- 4 प्राचार्य, रा0व0मा0वि झाडसेतली (1173)।
- 5 प्राचार्य, रा0उ0वि NIT-2 फरीदाबाद (1110)
- 6 प्राचार्य, रा0उ0वि मांगर (1031)।
- 7 जिला खजाना अधिकारी, फरीदाबाद।

J-T cell



अधीक्षक निर्माण

कृते: निदेशक माध्यमिक शिक्षा, हरियाणा

पंचकूला।

